पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

0 16 / 2026

आदिल पुत्र जगदीश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1 जगदीश पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2 विभा पुत्री जगदीश पत्नी महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

ज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष कील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत ने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण द वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— चक नं0 7 एजी के माबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 82 / 20 में कुल 0.4810 है० आराजी में से प्रतिवादी ं० 1 जगदीश के 1 / 2 हिस्सा की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रेकार्ड में अंकन कर चक नं0 7 एजी के खाता सं0 82 / 20 में से जगदीश का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/2/26...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।